भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 41

जिसका उत्तर 03.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण

*41 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र पर होने वाले अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण की घटनाओं के निराकरण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली जलभराव की समस्या को रोकने एवं कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) नए हरितक्षेत्रों, आवाजाही को नियंत्रित करने वाले उपमार्गों तथा रिंग रोडों के किनारों पर पंक्तिबद्ध निर्माण गतिविधियों (रिबन विकास) को रोकने तथा उनका दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में मंत्रालय की नीतिगत रूप-रेखा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण" के संबंध में श्री के. आर. एन. राजेश कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 03.12.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *41 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम की धारा 26, 27, 36 और 43 के अधीन अनधिकृत कब्जे को हटाने की शक्ति सौंपी गई है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जे की पहचान करने, उन्हें रिपोर्ट करने और हटाने के लिए राजमार्ग प्रशासनिक नियमावली के अतंर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। इसके अलावा, संबंधित करार में ठेकेदार/रियायतग्राही/प्राधिकरण अभियंता/स्वतंत्र अभियंता/पर्यवेक्षण परामर्शदाता और राजमार्ग प्रशासन की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमित निगरानी के लिए आवधिक ड्रोन सर्वेक्षण और एरियल इमेजिंग के प्रावधान भी किए गए हैं।

सरकार ने राजमार्ग यात्रा ऐप पर अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे की रिपोर्ट करने में नागरिकों को शामिल करने का प्रावधान किया है।

(ख) जल भराव से बचने और पानी के तेज बहाव (स्टॉर्म वाटर) के प्रभावी निपटान के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के कोडल प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त क्रॉस ड्रेनेज संरचनाएं और पुलिया उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, राजमार्गों पर नालियों (सड़क किनारे/मीडियन पर मिट्टी / आरसीसी की नाली) का प्रावधान किया जाता है और उस पानी को निकटतम उपयुक्त निकासी (आउटफॉल) स्थानों में मिला दिया जाता है।

(ग) सभी नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राजमार्गों और शहरी रिंग रोड़ को प्रासंगिक कोडल प्रावधानों के अनुरूप पहुंच-नियंत्रित राजमार्गों के रूप में डिज़ाइन किया गया है। रिबन विकास सहित मार्गाधिकार से परे विकास का नियंत्रण राज्य सरकार के अधिदेश के अंतर्गत है।
